प्रेषक,

संजय शुक्ला,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-297/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2026-27/471, दिनांक 12 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 2801-05-190-04-27 में राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 14000,00,00,000/- (रुपये चौदह हजार करोड़ मात्र) में से प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रू0 3500,00,00,000/- (रुपये तीन हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) को स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, मई तथा जून, 2026 में क्रमशः रू0 1166 करोड़, 1166 करोड़ एवं 1168 करोड़ की मासिक किस्तों में माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 की शर्तो/ दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रथम किश्त के आहरण के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसका व्यावर्तन किसी अन्य मद हेतु नहीं किया जायेगा।

(7) प्रत्येक किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही अगली क़िस्त के आहरण की अनुमति दी जायेगी तथा वर्षांत पर सम्पूर्ण धनराशि के उपभोग का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) द्वितीय त्रैमास हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव के साथ डिस्कॉम्स के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,00,00,00,000 (रुपये पैंतीस अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801051900400 उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-6-X-2026-27-दिनांक:13-4-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-40/2026/001-309(1)-24-1-2026-54 BUDGET-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0ए सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
विशेष सचिव।